Tender No. ....

Date ....

उप नियंत्रक
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय उप नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

अरेरा हिल्स, मैदामिल रोड, भोपाल - 462011

परिवहन कार्य हेतु

टेण्डर फार्म

2018-19

मूल्य ₹ 500/-

कार्यालय उप नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल – ✆ 0755 2551063

क्रमांक शा.के.मु./भण्डार/(3)/2018–19 1587 भोपाल, दिनांक 11/4/18........

निविदा सूचना

दोहरी लिफाफा पद्धति के अंतर्गत कार्यालय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अधिनस्थ क्षेत्रीय मुद्रणालयों ग्वालियर, इन्दौर, रीवा एवं महिला गैस राहत इकाई, भोपाल तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को पेपर एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य हेतु दरें आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा की शर्तें एवं विवरण विभाग की वेबसाइड **www. govtpressmp .nic.in** में अवलोकन हेतु रखा गया है। क्रय की गई निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य होगा।। वेबसाइड पर निविदा की अन्य शर्तें दी गई है जिसकी पूर्ति करना आवश्यक होगा। निविदा अनुसार लिफाफा "अ" में चाहे गये दस्तावेज एवं लिफाफा "ब" में कामर्शियल पत्रक संलग्न करना होगा।

3. निविदा में किसी प्रकार का सुधार/संशोधन/निविदा निरस्तगी की सूचना विभाग की वेबसाईट **www. govtpressmp .nic.in** पर दी जावेगी।

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 2–5–18	समय 4:30 PM
निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 3–5–18	समय 4:30 PM
निविदा का तकनीकी भाग खोलने की तिथि	दिनांक 5–5–18	समय 12:30 PM
निविदा का कॉमर्शियल भाग खोलने की तिथि	दिनांक 7–5–18	समय 12:30 PM

उप नियंत्रक
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

लिफाफा ''अ''

[परिवहन कार्य की निविदा के तहत तकनीकी भाग – ''अ'' में प्रस्तुत करने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट सूची]

1. फर्म स्थापित होने का गुमास्ता
2. पेन कार्ड
3. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र
4. फर्म स्वामी/पार्टनर का पूर्ण ब्यौरा, फर्म का पता एवं दूरभाष क्रमांक लेटर हेड पर पद मुद्रा अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
5. फर्म म0प्र0 शासन के किसी भी कार्यालय में काली सूची में नहीं है। इस आश्य का प्रमाण पत्र लेटर हेड में प्रस्तुत करना होगा।

7. विगत एक वर्ष का आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र/ आयकर विवरण (संलग्न करें)
8. अनुभव प्रमाण के रूप में विगत एक वर्ष में किसी शासकीय कार्यालय द्वारा दिये गये कार्यादेश की प्रति संलग्न करना होगा।

9 निविदा के साथ ₹ 5,000/– निविदा निक्षेप राशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की F.D.R. के रूप में उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के पक्ष में जमा करना होगी।

10 निविदा की शर्तों पर संबंधित फर्मों को स्वीकार करते हुए सहमति स्वरूप फर्म की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

नोट : सरल क्रमांक 9 को छोड़कर शेष समस्त दस्तावेजों पर निविदाकर्ता फर्म की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

उप नियंत्रक
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

लिफाफा "ब"

[परिवहन कार्य की निविदा के तहत कॉमर्शियल भाग]

स. क्र.	परिवहन का स्थान	जी.एस.टी. का प्रतिशत एवं राशि	दर	समस्त कर सहित कुल दर
1	भोपाल ▷ इन्दौर ▷ भोपाल 3 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	6 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	10 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	15 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
2	भोपाल ▷ ग्वालियर ▷ भोपाल 3 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	6 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	10 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	15 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
3	भोपाल ▷ रीवा ▷ भोपाल 3 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	6 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	10 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	15 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
4	भोपाल ▷ जबलपुर ▷ भोपाल 3 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	6 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	10 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	15 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
5	भोपाल प्रेस से ▷ गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी इकाई, भोपाल ▷ भोपाल प्रेस 3 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	6 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	10 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			
	15 M.T. क्षमता के ट्रक का किराया			

6	लोडिंग एवं अनलोडिंग चार्ज – 25 किलोग्राम तक के बंडल की लोडिंग एवं अनलोडिंग			
	40 से 60 किलोग्राम तक के बंडल की लोडिंग एवं अनलोडिंग			
	पेपर रील की लोडिंग एवं अनलोडिंग			

नोट : –

1. उपरोक्त दरों में परिवहन अप एण्ड डाऊन तथा लोडिंग/अनलोडिंग के साथ बंडल एवं रील को निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित रखना शामिल रहेगा।

2. दरों में कांट–छांट होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी साथ ही कोट की गई दरों पर पारदर्शी टेप चिपका कर प्रस्तुत करें एवं अतिरिक्त कॉमर्शियल पत्रक पृथक से प्रदान नहीं किया जायेगा।

....

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं फर्म की सील

परिवहन हेतु अनुबंधित शर्तें

1. निर्धारित तिथि/समय पर ही प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार की जावेगी।

2. टेण्डर विक्रय राशि वापस नहीं की जावेगी एवं पोस्टर आर्डर एवं मनी आर्डर मान्य नहीं किया जावेगा।

3. निविदाकर्ता फर्म को चेक लिस्ट सूची अनुसार समस्त दस्तावेज **लिफाफा–"अ"** एवं कॉमर्शियल पत्रक **लिफाफा "ब"** में पृथक–पृथक सील बंद कर तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा। **लिफाफा "अ" (तकनीकी भाग)** में सफल निविदाकार का ही लिफाफा "ब" खोला जायेगा।

4. सफल निविदकर्ता फर्म को रूपये 1000 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा एवं अनुबंधित फर्म को सुरक्षा निधि के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की राशि रूपये 10,000/– का एफ.डी.आर. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के पक्ष में 18 माह की अवधि का जमा करना होगा।

5. एक बार दरें स्वीकृत होने पर अनुमोदन दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रभावशील होगी तथा दोनों पक्षों की सहमति से इन्हें अगले छः–छः माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

6. मुद्रणालय को आवश्यता पड़ने पर सफल निविदाकार को आदेशित तिथी/समय पर ट्रक उपलब्ध करना होगा। अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। अनुबंधित फर्म को सौंपा गया कार्य अहस्तांतरणीय होगा।

7. अनुबंधित फर्म को सौंपे गये माल को यथा निश्चित स्थान तक पूर्ण सुरक्षा एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूर्ण जबाबदारी के साथ पहुंचाना होगा। यदि परिवहन के दौरान भेजी गई सामग्री में यदि किसी प्रकार की कोई शासकीय हानि होती है तो वह अनुबंधित फर्म से नियमानुसार माल के मूल्य की राशि मय ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

8. ट्रक भाड़े का भुगतान To be billed अथवा To Pay आधार पर कार्यालय की सुविधानुसार होगा। परन्तु ट्रक भाड़े का भुगतान सामान्यतः एक माह में हो सकेगा। यदि भुगतान में विलम्ब होता है तो किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

9. अनुबंधित फर्म को कार्योपरान्त देयक तीन प्रतियों में (देयक मशीन, कम्प्यूटराईज्ड नम्बर, जी.एस.टी नम्बर, दूरभाष नम्बर, बैंक डिटेल अंकित होना अनिवार्य है) संबंधित से पावीत प्राप्त देयक के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें

10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये मान्य अथवा अमान्य करने का सम्पूर्ण अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा जो बंधनकारी होगा।

11. निर्वाचन/अन्य महत्वपूर्ण कार्यों हेतु समय–सीमा में परिवहन न किये जाने की स्थिति में विलम्ब हेतु 5% शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निराकरण हेतु नियंत्रक कार्यालय को भेजा जायेगा। नियंत्रक का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा। अन्य विवादित स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

उप नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल